न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

अपील संख्या 13/2010/यूआईटी/अजमेर

सुधीर शर्मा पुत्र श्री वीरेन्द्र शर्मा निवासी पाल बिछला, अजमेर

———अपीलांट

बनाम

1. सचिव, नगर सुधार न्यास, अजमेर
2. कु0 प्रिंयका पुत्री श्री शम्भुदयाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी वृन्दावन पब्लिक स्कूल के पास, माकड़वाली रोड़, अजमेर
3. श्रीमती उषा शर्मा पत्नी श्री शम्भुदयाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी वृन्दावन पब्लिक स्कूल के पास माकड़वाली रोड़, अजमेर
4. श्रीमती रेणु पत्नी श्री देवमित्र जाति जाट निवासी यमुनानगर दिल्ली हाल माकड़वाली रोड़, अजमेर
5. श्री राकेश पुत्र श्री जितेन्द्रपाल जाति जाट, माकड़वाली रोड़, अजमेर जरिये संजय शर्मा पुत्र रामेश्वरलाल शर्मा निवासी कुन्दननगर, अजमेर
6. कु0 ज्योति शर्मा पुत्री श्री शम्भुदयाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी वृन्दावन पब्लिक स्कूल के पास माकड़वाली रोड़, अजमेर ।

————रेस्पोन्डेन्ट्स

———

अपील अन्तर्गत धारा 90—बी (7) राज0 भू—राजस्व अधिनियम 1956
एवं सपठित नगर सुधार न्यास (नगरीय क्षैत्र भूमि निष्पादन) नियम
1974 के नियम 30 विरूद्ध आदेश प्राधिकृत अधिकारी एवं
सचिव, नगर सुधार न्यास, अजमेर दिनांक 20—10—2001 तथा
नियमन आदेश दिनांक 20—10—2001 तथा नियमन
आदेश दिनांक 22—10—2001, 29—10—2001, 16—3—2002, 6—5—2003

————

उपस्थित— 1. श्री लेखू मंघानी अभिभाषक अपीलकर्तागण
2. श्री हेमन्त विजयवर्गीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1
3. श्री भवानी सिंह रावत, अभिभाषक, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2

निर्णय

दिनांकः—11.5.2018

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है विवादग्रस्त खसरा नम्बर 906 व 907 ग्राम चौरसियावास अजमेर प्रथम की भूमि हेतु रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 6 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, नगर सुधार न्यास, अजमेर के समक्ष नियमन हेतु आवेदन किया गया। प्राधिकृत अधिकारी, नगर सुधार न्यास, अजमेर ने दिनांक 20—10—2001 को आदेश जारी कर प्रश्नगत भूमि राज0 भू—राजस्व अधिनियम की धारा 90—बी के तहत अधिग्रहण कर एवं खातेदार की खातेदारी समाप्त कर उक्त भूमि न्यास के नाम दर्ज करने के आदेश दिये, तत्पश्चात दिनांक 22—10—2001 को ग्राम चौरसियावास के खसरा नम्बर 907 में स्थित भूमि 1000 वर्गगज का नियमन रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 श्री रामेश पुत्र जितेन्द्र पाल तथा इसी खसरा नम्बर की 1133.33 वर्गगज भूमि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 श्रीमति रेणु पत्नी देवमित्र के पक्ष में करने के आदेश दिये गये। साथ ही खसरा नम्बर 906 की 1245 वर्गगज भूमि का नियमन दिनांक 29—10—2001 को श्रीमती उषा शर्मा के नाम नियमन सचिव, नगर सुधार न्यास अजमेर ने किया तथा इसी खसरा नम्बर 906 की भूमि 1135.33 वर्ग गज भूखण्ड का नियमन दिनांक 16—3—2002 को सचिव, नगर सुधार न्यास अजमेर ने अप्रार्थी ज्योति शर्मा के नाम एवं दिनांक 6—5—2003 को 1026.16 वर्गगज भूमि का नियमन प्रियंका शर्मा को किया गया। उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया प्रकरण में दिनांक 29—04—2010 को स्थगन आदेश भी जारी किये गये। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस इसी खसरा नम्बर 907 एवं इन्हीं पक्षकारान के मध्य एक अन्य प्रकरण संख्या 14/2010 के अन्तर्गत दिये गये स्थगन आदेश दिनांक 29—4—2010 के विरूद्ध रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 द्वारा धारा 84 सपठित धारा—9 के अन्तर्गत निगरानी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की थी जो दिनांक 20—8—2015 स्वीकार कर स्थगन आदेश दिनांक 29—4—2010 को निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 (इस न्यायालय में अपीलार्थी) द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने की अधिकारिता (Locus) क्षैत्राधिकार एवं मियाद को तय करते हुए तथा प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पर स्पष्ट निष्कर्ष अंकित करते हुए इस निर्णय दिनांक 20—8—2015 के पैरा संख्या 8 से 10 में दिये अभिमत अनुसार अपील में नियमानुसार निर्णय शीघ्रातिशीघ्र पारित करे। यद्यपि उक्त निर्णय इसी खसरा नम्बर 907 एवं इन्हीं तथ्यों के आधार पर पारित किया गया जो कि समान तथ्यों पर आधारित होने से इस प्रकरण पर भी लागू होगा। अतः माननीय सदस्य, राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के उक्त निर्णय में दिये गये

निर्देशानुसार इस प्रकरण में दोनों पक्षकारान के अभिभाषकगण को उक्त तथ्यों पर सुना गया।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा सर्वप्रथम अपील प्रस्तुती हेतु अनुमति प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम एवं रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूवल नियम–30 व 17 एवं अपील के क्षैत्राधिकार पर तर्क दिये कि विवादग्रस्त भूमि तालाब की है एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जिस पर जारी पट्टो को अपील के माध्यम से निरस्त नहीं किया गया तो राज्य सरकार को अधिक क्षति होगी, इसलिए माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति अपील प्रस्तुती के साथ दर्ज रजिस्टर कर रेकार्ड नोटिस संबंधी कार्यवाही की गई, जो उचित है।

उक्त संबंध में अप्रार्थी (रेस्पोन्डेन्ट) संख्या 1 से 6 के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा तर्क दिये कि अपील प्रस्तुती के समय उक्त प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के अन्तर्गत अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुती की अनुमति प्राप्त करनी चाहिए थी। अपीलांट इस प्रकरण में किस आधार पर पक्षकार बनकर अपील प्रस्तुत करने हेतु सक्षम है, ऐसा कोई तथ्य अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अथवा बहस में अवगत नहीं कराया है।

उक्त सन्दर्भ में हमारा मत है कि प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों के आलौक में अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि अपीलांट इस प्रकरण में पीड़ित पक्षकार नहीं है और ना ही अपीलार्थी का विवादित आराजी से कोई सरोकार है। सार्वजनिक रूप से धारा 90–बी के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी को इस संबंध में जनहित याचिका के रूप में सक्षम न्यायालय में चाराजोई की जानी अपेक्षित थी।

अपीलार्थी के अभिभाषक ने मियाद बिन्दु पर तर्क दिया कि बिना क्षैत्राधिकार के पारित आदेश को किसी भी स्तर पर चुनौती दी जा सकती है उसमें मियाद बिन्दु आड़े नहीं आता। मियाद पर विचार करते समय अदालत को उदार रूख अपनाना चाहिए।

उक्त सन्दर्भ में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 के अभिभाषकगण का तर्क है प्रथमतः अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने का ही अधिकार नहीं होने से मियाद बिन्दु भी स्वतः निरस्त हो जाता है। इसी प्रकार क्षैत्राधिकार के तथ्य भी मान्य नहीं है कि यह प्रकरण इस न्यायलय में 90 बी (7) के अन्तर्गत नहीं आता है क्योंकि उक्त भूमि खातेदार की भूमि है जो कि अवाप्त की गई है, ऐसे प्रकरण में कार्यवाही धारा 90–बी (3) के अन्तर्गत की गई है जिसकी अपील सुनवाई का क्षैत्राधिकार इस न्यायालय को प्रदत्त नहीं है। इस न्यायालय को 90–बी (5) राज0 भू–राजस्व अधिनियम के तहत पारित आदेश की अपील धारा–90 बी (7) के तहत सुनवाई का क्षैत्राधिकार प्रदत्त है।

उक्त तथ्यों के निस्तारण के बाद मियाद बिन्दु पर भी अपीलार्थीगण का कोई क्लेम नहीं बनता है क्योंकि प्रथमतः अपीलार्थी को अपील प्रस्तुती, अपील के क्षैत्राधिकार संबंधी बिन्दुओं का उक्तानुसार निस्तारण किया जा चुका है।

उक्तानुसार अपील में सभी बिन्दुओं का निष्कर्ष यह है कि विवादग्रस्त भूमि बाबत अपीलार्थी श्री सुधीर शर्मा कभी भी पक्षकार नहीं रहे और ना ही अपीलार्थी इस प्रकरण में पीड़ित पक्षकार है। संभागीय आयुक्त न्यायालय के समक्ष अपील पीड़ित पक्षकार द्वारा ही प्रस्तुत की जा सकती है। अपीलार्थी ने अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि पट्टों में अंकित भूमि नियमन योग्य नहीं है जबकि अपीलार्थी को इस भूमि पर इन पट्टों से किस प्रकार अधिकार प्रभावित होते है, अपीलार्थी ने इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। इस सन्दर्भ में माननीय राजस्व मण्डल की एकल पीठ ने RRT 2001 (1) पेज 676 उनवानी रामेश्वर बनाम गुलाब वगैरह में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि कोई व्यक्ति जो किसी भूमि का खातेदार अथवा सहखातेदार नहीं है तो उसे धारा 90–बी(3) के अन्तर्गत पारित आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। अपील संबंधी आदेश प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 90–बी की कार्यवाही में धारा 90–बी(3) के तहत सम्पादित की गई है जिसकी अपील का क्षैत्राधिकार इस न्यायालय अर्थात संभागीय आयुक्त न्यायालय को नहीं है उन्हें केवल 90–बी (5) राज0 भू–राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही के विरूद्ध अपील की सुनवाई का क्षैत्राधिकार प्रदत्त है। इसके अलावा अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम–30 व 17 राजस्व कोर्ट मेन्युवल के तहत अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुती हेतु समय चाहा था वह आदिनांक तक प्रस्तुत नहीं होकर अपील त्रुटिपूर्ण है।

उक्तानुसार अपीलार्थी की यह अपील अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने का Locus नहीं होने, क्षैत्राधिकार विहीन एवं मियाद बाहर होने के कारण इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर